


03.07.24 वकील डिप्टीदार उपस्थित।  
लक्ष्मीलदार खेतड़ी के अपने  
पत्रांक १०८०/२०२३/६६५ दिनांक 18.3.24  
से निर्णय दिनांक 05/02/2024 पर  
मांग उठाने पाया है। पत्रावली का  
अवलोकन करने से पाया कि निर्णय  
की पालना मुवाबिक राजस्व रिकार्ड  
के नहीं हो रही है। अतः इसका  
का उपलब्ध हलगत प्रारंभ स्वार्थ  
किमा जाता है। पत्रावली उज्ज्वल  
से कम होकर दाखिल हफ्तर है।

  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी